

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान महादा राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 327/2025

निर्णय दिनांक 29/08/25

महादा राम पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-अप्रार्थी

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 178 के खसरा सं. 693/135 तादादी 4.9316 हैक्ट., 709/386 तादादी 1.6439 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम महादेवप्रसाद पुत्र मेघाराम अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम महादा राम पुत्र मेघराज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में नाम महादा राम पुत्र मेघराज है। राजस्व योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम महादा राम पुत्र मेघराज अंकित है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमावंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम महादा राम पुत्र मेघराज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम महादेवप्रसाद पुत्र मेघाराम एवं महादा राम पुत्र मेघराज दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम महादा राम पुत्र मेघराज पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम महादेवप्रसाद पुत्र मेघाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर पटवार हल्का सोमसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 178 के खसरा सं. 693/135 तादादी 4.9316 हैक्ट., 709/386 तादादी 1.6439 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम महादेवप्रसाद पुत्र मेघाराम Delete कर इसके स्थान पर महादा राम पुत्र मेघराज अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)